कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक**एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक– (स्कूल शिक्षा)/ हिन्दी(छात्र)/2015–16/पार्ट–1/780 दिनांकः 03.09.19** द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) – **हिन्दी** वेतन लेवल 12 के पद पर विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को कार्मिक(क–2)विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(2) कार्मिक/क–2/15 पार्ट दिनांक 22.05.2017 की अनुपालना में सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुक्रम में प्राध्यापक **हिन्दी** (स्कूल शिक्षा) के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में पूर्णतया अस्थाई (temporary) आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) – **हिन्दी** के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैं। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1)एफडी/रूल्स/2014 दिनांक 24.12.14 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यार्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिको को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा।

क्र.स.	रोल न.	मेरिट न.	चयन वर्ग	नाम	जन्म तिथि	स्थाई पता	पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जिला
1	463677	0	SBC-R	KAMLESH KUMARI GOOJAR	10/06/1992	ग्राम पोस्ट अजेता, वाया खटकड, बूंदी	GOVT. Hr. SEC. SCHOOL TALWAS, NAINWA (08230308208)(KESHORAIPATAN (SC))	BUNDI
2	641996	0	SBC-R	DILEEP KUMAR GURJAR	15/10/1986	ग्राम पोस्ट भटेरी, बस्सी, जयपुर	G.SR.SEC.S.SANCHIYA, BICCHIWARA (08270103111)(DUNGARPUR (ST))	DUNGARPUR

<u>संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगें:–</u>

01 अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, **तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र** एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।

02 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

03 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

04 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानोके फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

05 जिन अभ्यिर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यतां अर्जित की है उन्हेंकार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

06 चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in/ से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

07 संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि शाला दर्पण साईट पर नव चयनित व्याख्याता कार्यग्रहण रिपोर्ट अपलोड न होने पर आफलाईन कार्यग्रहण की कार्यवाही संपादित करवाते हुए कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय की मेल आई so.csection@gmail.com पर प्रेषित करें तथा शिघ्रातिशिघ्र शालादर्पण की साईट पर नवचयनित व्याख्याता के कार्यग्रहण की सूचना अपलोड करावें ।

उक्त नियुक्तियां पूर्णतया अस्थाई (temporary) आधार पर रहेंगी तथा नियुक्त अभ्यर्थी संबंधित पद पर स्थाईकरण (confirmation) का अधिकारी नहीं होगा। उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9/5/17 के निर्णय एवं एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/17 अरविन्द कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 2/6/17 के निर्णय के अध्यधीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695–4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस0एल0पी0 संख्या 14306–14310/2017 पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर नवीनतम परिणामों के उपरांत माननीय सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 24/6/19 में लिये गये निर्णय पर कार्यवाही करते हुए आयोग द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2015 विषय हिन्दी (छात्र संस्थायें) के दिनांक 28/6/18 को घोषित किये गये नवीनतम परिणाम के क्रम में नियमानुसार जारी आरक्षित सूची दिनांक 8/7/19 के आधार पर लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार पदस्थापन किया जाता है। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **25.09.2019** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी–15/2017 दिनांक :– 16-9-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/ कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) संभाग कार्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)मा.शि.
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर